सामग्री **पृष्ठ सं.**

भाग 1.. --

प्रारंभिक..

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ ....

परिभाषाएं..

भाग II -..

मुद्रण, प्रेस और प्रकाशन..

मुद्रक द्वारा सूचना प्रस्तुत करना...

मुद्रक द्वारा वार्षिक विवरण दर्ज करना ....

भाग III..

प्रधिकारी..

प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति ....

भाग IV ....

पत्रिकाओं का पंजीकरण ....

पत्रिकाओं का पंजीकरण ....

पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन...

पत्रिका के स्वामित्व का हस्तांतरण...

पत्रिका का बंद होना ....

पत्रिका को पुन: शुरू करना ....

पंजीकरण रद्द करना या निलंबित करना ....

प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला वार्षिक विवरण आदि......................................

वार्षिक रिपोर्ट ....

भाग V.....

शास्तियां .....

अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं होने पर पत्रिका के मुद्रण अथवा प्रकाशन के लिए शास्ति

मुद्रणालय से संबंधित उपबंधों का पालन न करने के लिए शास्ति .....

भाग VI.....

अपील.....

भाग VII.....

सरकारी विज्ञापन और प्रत्यायन .....

भाग VIII .....

डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशकों का पंजीकरण .....

भाग IX.....

विविध.....

केंद्र सरकार की शक्तियां.....

प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारी का **लोक सेवक होना** .....

सदाशय से की गई कार्रवाई का संरक्षण.....

केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति .....

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति .....

निरसन और व्यावृत्ति. .....

मसौदा आरपीपी विधेयक, 2019

प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2019

`क`

विधेयक

मुद्रण प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण और विनियमन तथा उससे जुड़े, मामलों के लिए एक अधिनियम

इसे भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया जाएगा जो निम्नानुसार हैः-

भाग-I

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम को प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) यह सम्पूर्ण भारत में लागू होगा

(3) यह उस तिथि को लागू होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "समुचित सरकार" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से है जिनके अपने विधानमंडल हैं।

(ख) "प्राधिकृत व्यक्ति" का तात्पर्य प्रेस महापंजीयक के अधीनस्थ और प्रेस महापंजीयक द्वारा समय-समय पर जैसी भी स्थिति हो विभिन्न कार्यों का निर्वहन करने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए लिखित में प्राधिकृत एक राजपत्रित अधिकारी से है:

(ग) किसी पत्रिका के "संपादक" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है, जो संपादक, मुख्य संपादक, समूह संपादक अथवा प्रधान संपादक या किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो भारत का एक

नागरिक है और वह आमतौर पर भारत का निवासी है जो किसी पत्रिका की सामग्री का चयन करने और उसे अंतिम रूप देने हेतु जिम्मेवार हो;

(घ) किसी प्रकाशन के "प्रतिकृति संस्करण" से तात्पर्य जहां तक सामग्री का संबंध है, किसी विदेशी प्रकाशन के पूर्णत: या अंशत: मूल संस्करण की सटीक प्रतिकृति से है, इस शर्त के अध्यधीन कि कोई भी पृष्ठ किसी अंश रूप में प्रकाशित न किया जाए;

(ङ) "वित्तीय वर्ष" से तात्पर्य वर्ष के 01 अप्रैल से आरंभ होने वाले और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है;

(च) "विदेशी पत्रिका" से तात्पर्य भारत से बाहर किसी देश में प्रकाशित और मुद्रित किसी भी पत्रिका से है;

(छ) "जर्नल" से तात्पर्य मैगजीन को छोड़कर किसी पत्रिका के प्रकाशन से है, जिसमें किसी विषय विशेष से अथवा पेशेवर क्रियाकलाप से संबंधित सामग्री मुद्रित की जाती है;

(ज) "कीपर" से तात्यर्य किसी मुद्रण प्रेस के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से है यदि प्रेस का स्वामी गैर व्यक्तिगत निकाय है;

(झ) "मैगजीन" से तात्पर्य जर्नल को छोड़कर लोक समाचार अथवा लोक समाचार पर टिप्पणियों सहित, आम विषयों पर टिप्पणियां अथवा आलेख वाले किसी पत्रिका के प्रकाशन से है;

(ञ) "नये संस्करण" से तात्पर्य सामग्री अथवा भाषा या अवधि में परिवर्तन के साथ मौजूदा समाचार पत्र के अन्य संस्करण से है;

(ट) "डिजिटल मीडिया पर समाचार" डिजिटल फार्मेट में समाचार है जिसे इंटरनेट, कम्प्यूटर अथवा मोबाइल नेटवर्कों से प्रसारित किया जा सकता है और जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं;

(ठ) "समाचार पत्र" से तात्पर्य सामान्तया तह लगे खुले पृष्ठों वाले आवधिक समाचार-पत्र से है और जिसे समसामयिक घटनाओं पर सूचना जन समाचारों अथवा जन समाचारों पर टिप्पणियों वाला प्रतिदिन अथवा सप्ताह में एक बार प्रकाशित समाचार-पत्र से है;

(ड) किसी प्रकाशन के "स्वामी" से तात्पर्य किसी प्रकाशन के स्वामित्व वाले किसी व्यक्ति, फर्म अथवा किसी कानूनी निकाय से है;

(ढ) "पत्रिका" से तात्पर्य समाचार-पत्र सहित किसी भी प्रकाशन से है जिसे नियमित अतंरालों में प्रकाशित और मुद्रित किया जाता है और जिसमें सामान्य अथवा विशिष्ट विषयों पर आलेख शामिल होते हैं;

(ण) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों से है;

(त) "मुद्रक" से तात्पर्य मुद्रणालय के स्वामी से है;

(थ) "प्रेस महापंजीयक" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भारत के प्रेस महापंजीयक से है।

(द) "मुद्रण" से तात्पर्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके किसी पत्रिका के मुद्रण से है जिसमें किसी भी बड़े पैमाने पर प्रतियां निकाली जाएं परंतु इसमें फोटोकॉपी करना शामिल नहीं है।

(ध) "प्रकाशन" से तात्पर्य कोई वस्तु जो कागज पर मुद्रित की जाती है और पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों एवं पुस्तकों सहित सार्वजनिक वितरण के लिए है;

(न) "प्रकाशित करना" से तात्पर्य प्रतिलिपियां जारी करने के रूप में जनता को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से है;

(प) "प्रकाशक" से तात्पर्य किसी प्रकाशन को प्रकाशित करने के लिए इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति से है;

(फ) "रजिस्टर" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 2 के अन्तर्गत रखे गए पत्रिकाओं के रजिस्टर से है;

(ब) "निर्दिष्ट प्राधिकारी" से तात्पर्य किसी जिले के जिलाधिकारी अथवा समाहर्ता या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, अथवा किसी अन्य कार्यपालक दण्डाधिकारी या जिले के जिलाधिकारी अथवा समाहर्ता या उपायुक्त द्वारा अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा लिखित में प्राधिकृत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है;

(भ) "शीर्षक" का तात्पर्य पत्रिका के नाम से है जैसा कि प्रेस महापंजीयक द्वारा सत्यापित पत्रिका के मुख पृष्ठ पर मास्टहेड के रूप में प्रमुखता और स्पष्टता से मुद्रित जिसके द्वारा पत्रिका जानी अथवा पहचानी जाएगी ।

भाग II
मुद्रण प्रेस और प्रकाशन

3.(1) मुद्रक द्वारा सूचना प्रस्तुत करना: - कोई भी व्यक्ति या कीपर जिसके पास किसी भी तरह के प्रकाशन के मुद्रण के लिए मुद्रण प्रेस है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह प्रेस आती है, के समक्ष उस रीति, और विवरण जो निर्धारित किया जाए, का उल्लेख करते हुए सूचना प्रस्तुत करेगा।

(2) उक्त धारा (1) में उल्लिखित व्यक्ति विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सूचना/सूचना से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(3) **मुद्रक द्वारा वार्षिक विवरण दर्ज करना:** - कोई भी व्यक्ति या कीपर, जिसके पास समाचारपत्र सहित किसी पत्रिका के मुद्रण हेतु मुद्रण प्रेस है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक यथा निर्धारित विवरण के साथ और रीति से ऐसी पत्रिकाओं के मुद्रण के संबंध में प्रेस महापंजीयक को वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

4. फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत कोई भी व्यक्ति, जो भारत में निगमित और पंजीकृत निकाय है, या भारत का नागरिक प्रकाशन निकाल सकता है;

परंतु यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अपराध का दोषी सिद्ध किया गया है -

(i) आंतकवादी कृत्य या गैर-कानूनी गतिविधि में संलिप्त होना;
(ii) देश की सुरक्षा के विरुद्ध कोई भी कार्य करना;

प्रकाशन नहीं निकालेगा

व्याख्या: इस खंड के प्रयोजन से, ''आंतकवादी कृत्य'' या ''गैर-कानूनी गतिविधि'' शब्दों का वही अर्थ होगा जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 की उप धारा (1) के खंड (ट) और (ण) में दिया गया है।

भाग III
प्राधिकारी

5(1) **प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति:** केंद्र सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत भारत के प्रेस महापंजीयक और उनके सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अन्य अधिकारियों को आबंटित कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन से यथा आवश्यकता उनकी नियुक्ति कर सकती है और सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के तहत उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के वितरण या आबंटन का प्रावधान कर सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्ववर्ती उपबंधों के सामान्य स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रेस महापंजीयक निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगा, अर्थात-

(i) प्रकाशन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना;
(ii) पंजीकृत समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का रजिस्टर रखना;
(iii) पत्रिका के शीर्षक की स्वीकार्यता और उपलब्धता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना;
(iv) अधिनियम के तहत उसे प्राप्त आवेदनों के संबंध में यथा लागू शुल्क की उगाही करना;
(v) केंद्र सरकार से निधियां प्राप्त करना और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उसका वितरण करना;
(vi) खंड (i) से (v) से उत्पन्न या इससे जुड़ा कोई भी कार्य; और
(vii) ऐसा अन्य कोई भी कार्य जो अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए।

(3) प्रेस महापंजीयक को अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात -

(i) मुद्रक और पत्रिका से वार्षिक विवरण प्राप्त करना;
(ii) समाचारपत्र के वितरण की संख्या का सत्यापन करना;
(iii) किसी पत्रिका का पंजीकरण संशोधित करना, निरस्त करना या निलंबित करना;
(iv) अधिनियम के तहत किसी भी अन्य कार्य के लिए समाचारपत्र के वितरण की संख्या का सत्यापन करने के लिए किसी अधिकारी और उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करना;

(v) प्रकाशन से रिकॉर्ड, दस्तावेज और ऐसी अन्य सूचना, जो उसके कार्य के निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, की मांग करना;

(vi) प्रकाशक या उसके मुद्रक के अधिकार में किसी पत्रिका से संबंधित कोई भी संगत रिकॉर्ड या दस्तावेज प्राप्त करना, और किसी भी उचित समय पर किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश करना जहां वह यह मानता हो कि ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज हैं और जहां उस पत्रिका का मुद्रण किया जा रहा हो और इस अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए संगत रिकॉर्डों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है या कोई भी प्रश्न पूछ सकता है;

(vii) जुर्माना और दण्ड लगाना;

भाग IV
पत्रिकाओं का पंजीकरण

6. पत्रिकाओं का पंजीकरण - (1) भारत में कोई भी पत्रिका केवल इसके तहत निर्धारित तरीके के अनुसार ही मुद्रित की जाएगी;

(2) किसी पत्रिका, चाहे वह नि:शुल्क हो या समूल्य हो, का प्रत्येक स्वामी उस रीति से, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करके, ऐसे विवरण का उल्लेख करके और ऐसे शुल्क का भुगतान करके, जो निर्धारित किया जाए, आवेदन द्वारा प्रेस महापंजीयक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।

(3) उप-धारा (2) के तहत आवेदन में वह शीर्षक भी होगा जो पत्रिका का स्वामी पत्रिका को देना चाहे, और उस प्रयोजन से स्वामी वरीयता के क्रम में एक या एक से अधिक शीर्षक का सुझाव दे सकता है, परंतु जो भारत में कहीं भी उसी भाषा में या उसी राज्य में अन्य किसी भी भाषा में अन्य किसी भी पत्रिका द्वारा पहले से धारित शीर्षक न हो या उस जैसा न हो, और जो प्रेस महापंजीयक द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर तैयार मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हो।

(4) प्रेस महापंजीयक द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह प्रकाशक है, को पंजीकरण के आवेदन की एक प्रति अग्रेषित की जाएगी जिसमें उक्त प्रकाशक द्वारा उक्त पत्रिका के पंजीकरण के संबंध में उनकी अनापत्ति या अन्यथा मांगी जाएगी, जिसे विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा 60 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) प्रेस महापंजीयक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पत्रिका के स्वामी से आवेदन प्राप्त होने पर इसकी सत्यता और संपूर्णता और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में वह पत्रिका प्रकाशित की जानी है, से प्राप्त टिप्पणियों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के बाद, और शीर्षकों की स्वीकार्यता संबंधी सिद्धांतों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा और अधिमानत: ऐसे आवेदन के 60 दिनों की अवधि के भीतर पत्रिका के शीर्षक के साथ प्रमाणपत्र पंजीकरण जारी करेगा।

परंतु यह है कि प्रेस महापंजीयक लिखित में कारण दर्ज करके पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से मना कर सकता है।

परंतु यह भी है कि तब तक इस प्रकार प्रमाणपत्र देने से मना नहीं किया जाएगा जब तक कि पत्रिका के स्वामी को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।

(6) पत्रिका का स्वामी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर 3 माह के भीतर पत्रिका का प्रकाशन शुरू करेगा।

परंतु यदि पत्रिका का स्वामी उस महीने, जिसमें प्रमाणपत्र दिया गया, के अंत से 12 माह के भीतर पत्रिका का प्रकाशन नहीं करता है, तो प्रेस महापंजीयक प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है और उसका शीर्षक वापस ले सकता है।

व्याख्या: इस परंतुक के प्रयोजन से पत्रिका प्रकाशित न करने का अर्थ यह होगा कि उस भाग के ¾ से कम पत्रिका का प्रकाशन करना जो किए गए आवेदन के अनुसार किया जाना चाहिए था।

7. पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन: (1) किसी पत्रिका का प्रकाशक पंजीकरण प्रमाणपत्र के विवरण में संशोधन के लिए उस रीति से और ऐसे विवरण का उल्लेख करते हुए, जो निर्धारित किया जाए, आवेदन कर सकता है।

(2) प्रेस महापंजीयक प्रकाशक को संशोधित पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकता है।

8.(1) पत्रिका के स्वामित्व का हस्तांतरण: पत्रिका के स्वामित्व का हस्तांतरण तभी किया जाएगा जब इस अधिनियम की धारा 5(5) के तहत पत्रिका पंजीकृत हो जाए।

(2) पत्रिका स्वामित्व में परिवर्तन के बाद पैरा 6 में निर्धारित रीति से संशोधित पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी।

9(1) पत्रिका का बंद होना: पत्रिका का स्वामी पत्रिका बंद करने का निर्णय करने पर इसे बंद करने के छह माह के भीतर प्रेस महापंजीयक और "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी", जिसके क्षेत्राधिकार में वह पत्रिका प्रकाशित की गई थी, को पत्रिका बंद होने के बारे में सूचित करेगा।

(2) प्रेस महापंजीयक प्रकाशक से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर बंद की गई पत्रिका का पंजीकरण रद्द करेगा और पत्रिका के शीर्षक सहित उसे इस अधिनियम की धारा 4(2) के तहत रखे गए रजिस्टर से हटा देगा।

10. पत्रिका को पुन: शुरू करना: जहां कहीं पत्रिका का प्रकाशन 3 माह से अधिक परंतु 12 माह से कम की अवधि के लिए रूक गया है या बंद हो गया है, तो प्रकाशक पत्रिका को पुन: शुरू करने के लिए प्रेस महापंजीयक को उस रीति से और उन दस्तावेजों, जो निर्धारित किए जाएं, के साथ आवेदन करेगा।

11.(1) पंजीकरण रद्द करना या निलंबित करना: प्रेस महापंजीयक, सरकार या इसके संगठन से प्राप्त सूचना, या इसे भारतीय प्रेस परिषद या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त होने के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि :

(क) पत्रिका का प्रकाशन इस अधिनियम के उपबंधों या इसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किया जा रहा है।

(ख) पंजीकरण मिथ्या अभ्यावेदन पर या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपा कर प्राप्त किया गया है।

(ग) पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित पत्रिका का शीर्षक ऐसा है जो उसी भाषा या उसी राज्य में प्रकाशित किसी भी अन्य पत्रिका से मेल खाता है या उस जैसा है।

(घ) पत्रिका का प्रकाशन पत्रिका के प्रकाशित अंतिम संस्करण की तारीख से 12 माह से अधिक की अवधि से बंद है।

(ङ) किसी भी अवधि की पत्रिका ने उसके ¾ से कम संस्करण प्रकाशित किए हैं, जो उसके आवेदन के अनुसार प्रकाशित किए जाने चाहिए थे।

(च) प्रकाशक ने पंजीकरण हेतु अपने आवेदन या वार्षिक विवरण में कोई भी गलत या मिथ्या विवरण दिया है।

(छ) प्रकाशक ने वित्त वर्ष के अंत तक 12 माह के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

(ज) प्रकाशक को किसी अपराध के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा निम्नलिखित का दोषी ठहराया गया है -

(i) आतंकवादी कृत्य या गैर-कानूनी गतिविधि में संलिप्त होना।
(ii) देश की सुरक्षा के विरुद्ध कोई भी काम करना।

परंतु यह है कि तब तक पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने या निलंबित करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रकाशक को अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(2) इस धारा के तहत रद् किए गए आदेश की प्रति को उपयुक्त सरकार और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उनके रिकार्ड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

12. प्रकाशक या स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक विवरण: (1) पत्रिका का प्रकाशक, पत्रिका के संबंध में निर्धारित समय में और यथा निर्धारित विवरणों को शामिल करते हुए प्रेस महापंजीयक को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा;
(2) यदि प्रकाशक धारा 12(1) के उपबंध का अनुपालन नहीं करता है, तो, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जोकि बकाया वर्षों के लिए वार्षिक विवरण की अनिवार्य प्रस्तुति सहित दस हजार रु. तक हो सकता है और उसका पंजीकरण निलंबित/निरस्त भी किया जा सकता है।

(3) यदि प्रकाशक या प्रकाशक की अनुपस्थिति में स्वामी धारा 11 (1) के उपबंध के तहत प्रस्तुत वार्षिक विवरण में कोई भी असत्य विवरण या ब्यौरा प्रस्तुत करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जोकि 50 हजार रुपये तक हो सकता है।

बशर्ते कि प्रकाशक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर शास्ति लगाने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।

13. वार्षिक रिपोर्टः प्रेस महापंजीयक भारत में पत्रिकाओं के संबंध में सूचना का एक वार्षिक विवरण उस रूप में और समय पर, जैसा कि निर्धारित किया गया है, तैयार और प्रकाशित करेगा।

भाग V

शास्तियां

14. अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप न होने पर पत्रिका के मुद्रण या प्रकाशन के लिए शास्तिः कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के उपबंधों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप किसी भी पत्रिका का स्वामी है, उसका मुद्रण, प्रकाशन या संपादन करता है, या ये जानते हुए कि इस अधिनियम की धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के उपबंधों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का पालन नही किया गया है और किसी पत्रिका का स्वामित्व सृजित करता है, उसका मुद्रण, प्रकाशन या संपादन करवाता है, जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जो कि 50 हजार रु. तक हो सकता है, और उस पत्रिका का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।

15. मुद्रणालय से संबंधित उपबंधों का पालन न करने के लिए शास्तिः (1) मुद्रणालय शुरु करने हेतु, सूचना दिए बिना या सूचना में असत्य विवरण प्रस्तुत करके या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत किए बिना धारा 3 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने से जुर्माना लगाया जाएगा और दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जो संबंधित विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित मानी जाए।

(2) मुद्रण या कीपर द्वारा वार्षिक विवरण न करने के लिए धारा 3(3) के उपबंधों का पालन न होने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भाग VI

अपील

(16)(1) एक प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड के नाम से एक अपील बोर्ड होगा जिसमें अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा इसके सदस्यों में से जिसमें नामित एक सदस्य होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 6 की उप-धारा (5) के तहत पंजीकरण करने से मना करने पर धारा 11 के तहत पंजीकरण के निंलबन अथवा निरस्तीकरण, प्रेस महापंजीयक के आदेशों

से असंतुष्ट है या धारा 14 के तहत दण्ड लगाने और पंजीकरण के निलंबन/निरस्तीकरण के आदेश के संबंध में उसे सूचित ऐसे आदेशों के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपील बोर्ड को अपील दायर कर सकता है।

परंतु अपील बोर्ड उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता द्वारा समय पर अपील दायर न किए जाने का पर्याप्त कारण था।

(3) इस धारा के अन्तर्गत अपील प्राप्त होने पर, अपील बोर्ड, रिकार्ड और आगे जांच के पश्चात जैसा वह उपयुक्त समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(4) अपील बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

भाग VII

सरकारी विज्ञापन और प्रत्यायन

17(1) समुचित सरकार शर्तें निर्धारित कर सकती है जिसके तहत यह पत्रिका को विज्ञापन जारी कर सकती है, स्वामियों/कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ उपलब्ध कर सकती है, प्रत्यायन प्रदान कर सकती है, या इसके

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित शर्त में प्रकाशन के शुरुआत के समय इसके वितरण, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन और इस तरह के अन्य मानंदड़ों, जो यह निर्दिष्ट करें, को शामिल कर सकती है।

भाग-VIII

डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशकों का पंजीकरण

18. डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशक, उसी रीति से और ऐसा विवरण देकर, जो निर्धारित किया जाए, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के साथ पंजीकरण कराएगें।

भाग-IX

विविध

19. केन्द्र सरकार की शक्तियां: (1). अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में, प्रेस महांपजीयक नीति के मुद्दे पर ऐसे निदेशों द्वारा बाध्य होगें जो केन्द्र सरकार समय-समय पर लिखित में दे।

(2) केन्द्र सरकार का यह निर्णय अंतिम होगा कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं।

20. प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना: अधिनियम के तहत नियुक्त किए गए प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारियों को भारतीय दंड सहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक, माना जाएगा।

21. सदाशय से की गई कार्रवाई का संरक्षण: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के प्रेस महापंजीयक या प्रेस महापंजीयक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध ऐसी किसी बात के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में सदाशयता से की गई हों या किए जाने का इरादा हो।

22. (1) केन्द्र सरकार की नियम बनाने की शक्तिः केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप में पूर्ववर्ती प्रावधानों की व्यापकता पर पूर्वाग्रह के बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित मामलों में सभी के लिए अथवा किसी एक के लिए प्रावधान है नामत:

(क) धारा 6 के तहत आवेदन करने का फार्म, शुल्क और तरीका;
(ख) धारा 6 के तहत पत्रिकाओं के पंजीकरण के मान्य विवरण;
(ग) धारा 6 (5) के तहत फार्म जिसमें पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
(घ) धारा 5(2) के तहत पत्रिकाओं का रजिस्टर रखने का तरीका।

(ङ) विवरणों का निर्धारण करना जिसमें पत्रिकाओं के प्रकाशकों द्वारा प्रेस पंजीयक को प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक विवरण हो सकता है।
(च) फार्म और तरीके का निर्धारण करना जिसमें धारा 12 के तहत वार्षिक विवरण या अधिनियम के तहत कोई भी विवरणी. आंकडे या अन्य जानकारी जो प्रेस पंजीयक को प्रस्तुत की जानी हो।
(छ) वह तरीका जिसमें धारा 5(3) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समाचारपत्रों के वितरण का सत्यापन किया जा सके।
(ज) कोई अन्य मामला जो किया जाना अपेक्षित हो या निर्धारित किए जाए।

(3) अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनने के शीघ्र बाद संसद का सत्र चलने के दौरान प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

23. (1) कठिनाइयों को दूर करने की शक्तिः यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्र सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जो यह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे और जो इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध न हों, कर सकती है।
परंतु इस धारा के तहत इस अधिनियम के शुरू होने से तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) इस धारा के तहत दिए गए प्रत्येक आदेश को इसके बनने के यथा समय बाद शीघ्र प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

24. (1) निरसन और व्यावृत्ति: प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम, 1867 एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। (1867 का 25)

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी -
(क) कुछ भी किया गया अथवा कोई कार्रवाई की गयी या कथित रूप से किया गया अथवा लिया गया जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश की गई घोषणा या कोई निष्पादित दस्तावेज या उपकरण अथवा दिया गया कोई निदेश या की गयी कोई कार्रवाई अथवा लगाया गया दण्ड अथवा जुर्माना शामिल है एतदद्वारा निरस्त किया

गया है जो जहां तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नही है को इस अधिनियम के समनुरूप प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया अथवा लिया गया माना जाएगा;

(ख) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत की गई और अधिप्रमाणित जिसमें किसी तरह की घोषणा, उसका शीर्षक शामिल है, को इस अधिनियम के सदृश उपबंधों के अन्तर्गत किया गया और अधिप्रमाणित माना जाएगा;

(ग) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर किसी भी न्यायालय में लंबित कोई भी कार्यवाही उस न्यायलय में जारी रह सकती है यदि इस अधिनियम को पारित नहीं किया गया है;

(घ) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत नियुक्त प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुंरत पहले इसे धारित करने वाला अधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, तब तक इस अधिनियम के सदृश उपबंधों के अन्तर्गत अपने अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उन्हें हटाया नहीं जाता अथवा वे सेवानिवृत्त नही हो जाते;

(ङ) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड, तब तक इस अधिनियम के सदृश उपबंधों के अन्तर्गत कार्य करता रहेगा जबतक कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्राधिकरण का गठन नहीं किया जाता;

(च) एतदद्वारा निरस्त प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड को प्रस्तुत इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले और निपटाई नहीं गई किसी भी अपील का निपटान इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित अपील प्राधिकारी द्वारा जा सकता है;

(छ) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी भी जुर्माना को अधिनियम द्वारा उपबंधित अथवा इसके अन्तर्गत तरीके से वसूली जा सकती है, परन्तु इससे इस प्रकार निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे जुर्माने की वसूली के लिए पहले से की गयी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ज) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए अथवा प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का उन्हीं शर्तों के अध्यधीन इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद भी प्रभाव जारी रहेगा चाहे वह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो;

(3) उप-धारा (2) में विशेष मामलों के उल्लेख को निरस्ती के प्रभाव के संबंध में सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य प्रयोग का प्रतिकूल प्रभाव अथवा प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा। (1897 का 10)

*****